



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-25/2018
दिनांक : 27.04.2018

सूचना

यह संज्ञान में आया है कि सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास तथा अंजली हाइट्स छात्रावास में रह-रहीं कुछ छात्राएँ मेस कर्मियों के मना करने के बावजूद खाना मेस में न खाकर, अपने-अपने कमरे में लेकर जाती हैं।

ऐसी सभी छात्राएँ जो खाना मेस में न खाकर अपने कमरे में लेकर जाती हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि वे दोनों समय (दोपहर और रात) का खाना छात्रावास की मेस में बैठकर ही खाएँ। खाना मेस के बाहर लेकर न जाएँ।

इस निर्देश का पालन न करनेवाली छात्राओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
27/04/18

प्रति :

सा.फुले महिला छात्रावास अधीक्षक

(ईमेल द्वारा इस अनुरोध के साथ कि छात्रावास के सूचना पट्ट पर चस्पा कराये तथा उक्त निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराएँ)

प्रतिलिपि,

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलानुशासक
4. अकादमिक संयोजक (अकादमिक विभाग)
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली